

प्रेस नोट दिनांक 24.10.2024

थाना चकिया जनपद चन्दौली

❖ थाना चकिया पुलिस ने 21 राशि गोवंशीय पशुओ(17 राशि जिन्दा व 4 राशि मृत) को डीसीएम से बरामदगी करते हुए 03 अभियुक्त को पास के साथ किया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक चन्दौली आदित्य लांगे द्वारा अवैध शराब/ गोतस्करों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन अनिल कुमार यादव व क्षेत्राधिकारी चकिया राजीव सिसोदिया के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष अतुल कुमार थाना चकिया जनपद चन्दौली के कुशल नेतृत्व में थाना चकिया पर गठित टीम के द्वारा लतीफशाह मुहम्मदाबाद मार्ग पर निम्बिया ढलान के पास से 21 राशि गोवंश को बरामद करते हुए 03 शातिर पशु तस्करों को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस कार्यवाही- दिनांक 23.10.2024 को थाना चकिया पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ शातिर गोतस्कर गोवंशों को लेकर वध हेतु बिहार ले जा रहे है। थाना स्थानीय पुलिस टीम द्वारा लतीफशाह मुहम्मदाबाद मार्ग पर निम्बिया ढलान के पास से 21 राशि गोवंशीय पशुओ को एक डीसीएम से बरामद करते हुए अभियुक्तगण 1. सोनू कुमार पुत्र कन्हैयालाल निवासी गोलाधरी थाना शादियाबाद जनपद गाजीपुर हालपता कुल्हड़िया मोड. थाना दुर्गावती जनपद कैमूर बिहार उम्र करीब 28 वर्ष 2. ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झब्बू पुत्र स्व0 प्रेमकृष्ण सिंह निवासी धनेछाह थाना दुर्गावती जिला कैमूर बिहार उम्र करीब 44 वर्ष 3. गोविन्द सिंह पुत्र स्व. सूर्यनारायण सिंह निवासी दरौली थाना दुर्गावती जनपद कैमूर भभुआ बिहार उम्र करीब 26 वर्ष को समय 17.45 बजे गिरफ्तार/बरामद किया गया तथा उक्त के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 196/2024 धारा 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधि0 व धारा 11 पशु क्रूरता नि0 अधिनियम व 325 बीएनएस का अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण- गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि कि हम लोगों का एक संगठन है। हम लोग आपस में बराबर बराबर पैसे लगाकर मध्य प्रदेश के मऊगंज, सिधी जावा के आस पास के गांवों के व्यापारी बाबूखान व हिदायत से सस्ते दामों पर करीब दो से ढाई हजार रुपये प्रति गोवंश खरीदकर, चुनार मिर्जापुर से चकिया, इलिया होते हुए बिहार सिरिसा मेले में ले जाते है जहां पर अन्य गाडियों में लोड करके पश्चिम बंगाल पण्डुआ वध हेतु लेकर जाते है, हम लोगो में से कुछ लोग स्कार्पियो वाहन में बैठकर आगे आगे चलते है तथा पुलिस का लोकेशन/मौजूदगी व रास्ता क्लियर होने की जानकारी डीसीएम को देते हुए वाहन को पास कराते हुए बिहार ले जाते है।

गिरफ्तारी का स्थान व समय- अभियुक्तगण को लतीफशाह मुहम्मदाबाद मार्ग पर निम्बिया ढलान के पास दिनांक 23.10.2024 समय 17.45 बजे गिरफ्तार किया गया।

नाम पता अभियुक्तगण-

1. सोनू कुमार पुत्र कन्हैयालाल निवासी गोलाधरी थाना शादियाबाद जनपद गाजीपुर हालपता कुल्हड़िया मोड. थाना दुर्गावती जनपद कैमूर बिहार
2. ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झब्बू पुत्र स्व0 प्रेमकृष्ण सिंह निवासी धनेछाह थाना दुर्गावती जिला कैमूर बिहार
3. गोविन्द सिंह पुत्र स्व. सूर्यनारायण सिंह निवासी दरौली थाना दुर्गावती जनपद कैमूर भभुआ बिहार

अधि0 गोविन्द सिंह का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 196/2024 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध नि0 अधि0 व 11 पशुक्रूरता नि. अधि. व 325 बीएनएस थाना चकिया जनपद चन्दौली

2-मु0अ0सं0 44/23 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध नि0 अधि0 व 11 पशुक्रूरता नि. अधि. , 4/25 आर्म्स एक्ट व 429 भादवि थाना व जनपद चन्दौली

अभि0 राजा कुँरीशी का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 196/2024 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध नि0 अधि0 व 11 पशुकूरता नि. अधि. व 325 बीएनएस थाना चक्रिया जनपद चन्दौली
2. मु.अ.सं. 122/2020 धारा 3(1) उ.प्र.गैंगेस्टर एक्ट थाना चक्रिया जनपद चन्दौली
3. मु.अ.सं. 97/2020 धारा 3/5ए/8 गो.नि. अधि. व 11 पशुकूरता नि. अधि. थाना चक्रिया जनपद चन्दौली
4. मु.अ.सं. 20/2021 धारा 3/5ए/8 गो.नि. अधि. व 11 पशुकूरता नि. अधि. व 419/420/467/468 भादवि थाना बबुरी जनपद चन्दौली
5. मु.अ.सं. 342/23 धारा 3/5ए/8 गो.नि. अधि. व 11 पशुकूरता नि. अधि. व 429 भादवि थाना चक्रिया जनपद चन्दौली
6. मु.अ.सं. 005/2024 धारा 3/5ए/5बी/8 गो.नि. अधि. व 11 पशुकूरता नि. अधि. व 429 भादवि थाना चक्रिया जनपद चन्दौली
7. मु.अ.सं. 181/24 धारा 3/5ए/5बी/8 गो.नि. अधि. व 11 पशुकूरता नि. अधि. व 318/318/325 बीएनएस थाना चक्रिया जनपद चन्दौली
8. मु.अ.सं. 273/24 धारा 3/5ए/8 गो.नि. अधि. व 11 पशुकूरता नि. अधि. थाना अलीनगर जनपद चन्दौली ।

बरामदगी का विवरण-

1. 21 राशि गोवंशीय पशु(17 राशि जिन्दा व 04 राशि मृत)
2. 03 मोबाइल
3. दो वाहन क्रमशः UP86AT4736 (DCM) व HR51AU5657 स्कार्पियो(पासर)

गिरफ्तारी व बरामदगी की पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष अतुल कुमार थाना चक्रिया जनपद चन्दौली।
2. उ0नि0 अभिनव कुमार गुप्ता चौकी प्रभारी रामपुर भभौरा थाना चक्रिया जनपद चन्दौली
3. उ0नि0 सुनील कुमार चौकी प्रभारी कस्बा चक्रिया थाना चक्रिया जनपद चन्दौली
4. हे0का0 राकेश यादव थाना चक्रिया जनपद चन्दौली।
5. हे0का0 सूरज कुमार जनपद चन्दौली।
6. हे0का0 जलभरत यादव थाना चक्रिया जनपद चन्दौली
7. हे0का0 दीपचन्द्र गिरी थाना चक्रिया जनपद चन्दौली
8. का0 चन्द्रशेखर यादव थाना चक्रिया जनपद चन्दौली

थाना कोतवाली चन्दौली जनपद चन्दौली

❖ थाना चन्दौली पुलिस टीम द्वारा 50 राशि गोवंशीय पशुओं को किया गया बरामद

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली आदित्य लांगे के निर्देशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह एवं क्षेत्राधिकारी सदर राजेश कुमार राय के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक चन्दौली गगन राज सिंह के कुशल नेतृत्व में चन्दौली पुलिस टीम इलिया मोड पर चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर सूचना मिली कि एक ट्रक जिसका नम्बर UP63AT3910 व एक पिकअप जिसका नं० UP65GT0540 जिसमे कुछ तकनीकी खराबी आ गयी है। इस समय भगवान तलाब के पास खडी है जिसमे गोवंशीय पशु है, जिन्हे वध हेतु क्रूरता पूर्वक बांधकर पश्चिम बंगाल लेकर भाग जायेगे। इस सूचना पर चन्दौली पुलिस मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर पहुंच कर देखी कि भगवानपुर नहर के करीब 100 मीटर आगे हाईवे के किनारे एक ट्रक व एक पिकअप खडी मिली।

मौजूदा पुलिस टीम द्वारा ट्रक व पिकअप के पास जाकर देखा गया तो ट्रक मे कुल 25 राशि गाय व 17 राशि बछडा एवं पिकअप मे कुल 08 राशि गोवश बरामद हुए जिसमे से कुल 06 राशि (03 राशि गाय व 03 राशि बैल जीवित) व 02 राशि मृत बैल बरामद हुए। उपरोक्त बरामदगी के आधार थाना चन्दौली पर मु.अ.स. 261/2024 धारा 3/5ए/8/5 गोवध नि. अधि. व 11 पशु क्रू. नि. अधि. पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग- मु.अ.स. 261/2024 धारा 3/5ए/8/5 गोवध नि. अधि. व 11 पशु क्रू. नि. अधि. थाना व जिला चन्दौली

विवरण बरामदगी – 33 राशि गाय व 17 राशि बछडा कुल 50 राशि गोवंशीय पशु बरामद, जिसमें से (02 राशि गोवंशीय पशु मृत)

बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. प्रभारी निरीक्षक गगन राज सिंह थाना व जिला चन्दौली
2. उ.नि. दुर्गेश यादव चौकी प्रभारी कस्बा थाना व जिला चन्दौली
3. का. विजय कुमार थाना व जिला चन्दौली ।
4. का० कुलदीप कुमार थाना व जिला चन्दौली
5. का० पंकज यादव थाना व जिला चन्दौली।

थाना चकिया जनपद चन्दौली

◆ पुलिस अधीक्षक चंदौली, श्री आदित्य लांगे के निर्देशन में अपराध नियंत्रण पर थाना चकिया पुलिस टीम की बड़ी कार्यवाही

◆ थाना चकिया पुलिस द्वारा गौ तस्करी व वाहन चोरी करने वालों 07 अभियुक्त के विरुद्ध की गयी गैंगस्टर की कार्यवाही

◆ आपराधिक कृत्यों से समाज में आम जनता के मध्य भय और आतंक का माहौल बनाने वाले अभियुक्तगण के विरुद्ध की गयी गैंगस्टर एक्ट की गयी कार्यवाही

◆ इन अपराधियों का एक सक्रिय संगठित गिरोह है, जो अपने आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु करता है गोवंश की तस्करी जैसे अपराध कारित करते है।

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक जनपद चन्दौली श्री आदित्य लांगे द्वारा जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने तथा अपराध में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु दिये गये निर्देश के अनुपालन मे चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (आप0) अनिल कुमार यादव व क्षेत्राधिकारी चकिया राजीव सिसोदिया के पर्यवेक्षण/मार्गदर्शन में थानाध्यक्ष अतुल कुमार कोतवाली चकिया जनपद चन्दौली द्वारा गोतस्करी व वाहन चोरी में सम्मिलित कुल 07 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट तहत कार्यवाही की गयी।

1-थानाध्यक्ष अतुल कुमार कोतवाली चकिया जनपद चन्दौली द्वारा अपराधियों एवं गो- तस्करो के विरुद्ध की जा रही अभिसूचना संकलन की कार्यवाही के क्रम में थानाध्यक्ष अतुल कुमार द्वारा कोतवाली क्षेत्र से गो- तस्करी करने वाले अभियुक्तगण गैंग लीडर. 1. रमेश कुमार पुत्र रामभजन नि0 ग्राम बनरसिया थाना चकिया जिला चन्दौली 2. गोविन्द कुमार पुत्र रामदुलार नि0 ग्राम बनरसिया थाना चकिया जिला चन्दौली 3. राहुल भारती पुत्र श्रीराम नि0 ग्राम मुसाहिबपुर थाना चकिया जिला चन्दौली 4. विजय कुमार पुत्र राम अवतार नि0 ग्राम मुसाहिबपुर थाना चकिया जिला चन्दौली के विरुद्ध दिनांक 24.10.2024 को मु0अ0स0 198/2024 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधि0 1986 पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गैंग लीडर –

रमेश कुमार पुत्र रामभजन नि0 ग्राम बनरसिया थाना चकिया जिला चन्दौली

गैंग का सदस्य-

1-गोविन्द कुमार पुत्र रामदुलार नि0 ग्राम बनरसिया थाना चकिया जिला चन्दौली

2-राहुल भारती पुत्र श्रीराम नि0 ग्राम मुसाहिबपुर थाना चकिया जिला चन्दौली

3-विजय कुमार पुत्र राम अवतार नि0 ग्राम मुसाहिबपुर थाना चकिया जिला चन्दौली।

गैंग लीडर रमेश कुमार का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 131/2024 धारा 3/5ए/5बी/8 गो0नि0अधि0 व 11 पशु क्रू0 नि0 अधि0 थाना चकिया जनपद चन्दौली

2. मु0अ0सं0 198/2024 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986

गैंग सदस्य गोविन्द कुमार का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 131/2024 धारा 3/5ए/5बी/8 गो0नि0अधि0 व 11 पशु क्रू0 नि0 अधि0 थाना चकिया जनपद चन्दौली

2. मु0अ0सं0 198/2024 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986

गैंग सदस्य राहुल भारती का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 131/2024 धारा 3/5ए/5बी/8 गो0नि0अधि0 व 11 पशु क्रू0 नि0 अधि0 थाना चकिया जनपद चन्दौली

2. मु0अ0सं0 198/2024 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986

गैंग सदस्य विजय कुमार का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 131/2024 धारा 3/5ए/5बी/8 गो0नि0अधि0 व 11 पशु क्रू0 नि0 अधि0 थाना चकिया जनपद चन्दौली

2. मु0अ0सं0 198/2024 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम –

अतुल कुमार थानाध्यक्ष कोतवाली चकिया जनपद चन्दौली

हे0का0 सूरज कुमार कोतवाली चकिया जनपद चन्दौली

का0 चन्द्रशेखर कोतवाली चकिया जनपद चन्दौली

2- थानाध्यक्ष अतुल कुमार द्वारा कोतवाली चकिया क्षेत्र से वाहन चोरी करने वाले अभियुक्तगण गैंग लीडर. राहुल यादव पुत्र जयप्रकाश यादव निवासी ग्राम कुदरा पथरा थाना गहमर जिला गाजीपुर, धनन्जय यादव पुत्र राधाकृष्ण यादव निवासी बद्दोपुर करीमुद्दीनपुर जिला गाजीपुर व राजन सिंह उर्फ साहिल सिंह पुत्र हरिद्वार सिंह निवासी माहेपुर थाना करण्डा जिला गाजीपुर के विरुद्ध दिनांक 23.10.2024 को मु0अ0सं0 197/2024 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधि0 1986 पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गैंग लीडर –

राहुल यादव पुत्र जयप्रकाश यादव निवासी ग्राम कुदरा पथरा थाना गहमर जिला गाजीपुर

गैंग का सदस्य-

1-धनन्जय यादव पुत्र राधाकृष्ण यादव निवासी बद्दोपुर थाना करीमुद्दीनपुर जिला गाजीपुर

2-राजन सिंह उर्फ साहिल सिंह पुत्र हरिद्वार सिंह निवासी माहेपुर थाना करण्डा जिला गाजीपुर

गैंग लीडर राहुल यादव का अपराधिक इतिहास–

1. मु0अ0सं0 34/2024 धारा 411/419/420 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चकिया जनपद चन्दौली

2. मु0अ0सं0 136/2019 धारा 379 भादवि थाना लंका जिला वाराणसी

3. मु0अ0सं0 197/2024 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986

गैंग सदस्य धनन्जय यादव का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 34/2024 धारा 411/419/420 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चकिया जनपद चन्दौली

2. मु0अ0सं0 39/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना करीमुद्दीनपुर जिला गाजीपुर

3. मु0अ0सं0 71/ 2022 धारा 307 भादवि थाना करीमुद्दीनपुर जिला गाजीपुर

4. मु0अ0सं0 321/2020 धारा 294 भादवि करीमुद्दीनपुर जिला गाजीपुर

5. मु0अ0सं0 136/2019 धारा 379 भादवि थाना लंका जिला वाराणसी

6. मु0अ0सं0 197/2024 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986

गैंग सदस्य राजन सिंह उर्फ साहिल सिंह का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 34/2024 धारा 411/419/420 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चकिया जनपद चन्दौली
2. मु0अ0सं0 78/2023 धारा 411/468/471 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना करण्डा जिला गाजीपुर
3. मु0अ0सं0 79/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना करण्डा जिला गाजीपुर
4. मु0अ0सं0 187/2023 धारा 419/420 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली
5. मु0अ0सं0 136/2019 धारा 379 भादवि थाना लंका जिला वाराणसी
6. मु0अ0सं0 197/2024 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एंव समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम –

अतुल कुमार थानाध्यक्ष कोतवाली चकिया जनपद चन्दौली

हे0का0 सूरज कुमार कोतवाली चकिया जनपद चन्दौली

का0 चन्द्रशेखर कोतवाली चकिया जनपद चन्दौली

जनपद चंदौली

◆ जनपद चन्दौली में पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री अदित्य लांगहे के निर्देशन में चलाया गया "ऑपरेशन बचपन अभियान"

◆ चन्दौली पुलिस द्वारा विभिन्न दुकानों व कार्यस्थलों से 07 बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराते हुए उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया।

चंदौली:- पुलिस अधीक्षक चंदौली श्री आदित्य लांगहे के निर्देशन में चलाए जा रहे "ऑपरेशन बचपन अभियान" के क्रम में दिए गए निर्देशों के क्रम में अनिल कुमार यादव, अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन के पर्यवेक्षण में गठित टीम द्वारा आज दिनांक 24.10.2024 को एसडीएम आलोक कुमार, क्षेत्राधिकारी पीडीडीयू नगर आशुतोष, श्रम प्रवर्तन अधिकारी नजरे आलम, ग्राम स्वराज समिति सौरभ सिंह व एएचटीयू प्रभारी इन्द्रभूषण यादव की टीम ने विभिन्न जगहों पर दुकानों व प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की जिसमें 07 बच्चों को बाल श्रम करते हुए पाया और उनको तत्काल बाल श्रम से मुक्त कराया गया। बालश्रम से मुक्त कराये गये बच्चों को उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया।

उक्त अभियान के तहत आज दिनांक 24.10.2024 को थाना मुगलसराय क्षेत्र अन्तर्गत स्थित दुकानों, प्रतिष्ठानों व होटल से 07 बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराते हुए उनके परिजनो को सुपुर्द कर दिया गया।

(आपरेशन कन्विक्शन)

◆ श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को दिलाई जा रही सजा।

◆ मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री श्याम बाबू (अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी प्रथम जनपद चन्दौली) द्वारा दोषसिद्ध 01 अभियुक्त को 07 वर्ष का कठोर कारावास व 12000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 15 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।

थाना बबुरी के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक- 29.04.2017 को धारा 498ए,304 भादवि व 3/4 डीपी एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.सर्वजीत उर्फ कक्की पुत्र शंकर लाल निवासी भरेहटा थाना बबुरी जनपद चन्दौली 2. गीता पत्नी सुबाष निवासी श्रीकण्ठपुर थाना बबुरी चन्दौली 3.सुबाष पुत्र लोचन निवासी उपरोक्त के विरुद्ध अपराध संख्या- 32/2017 धारा 498ए,304 भादवि व 3/4 डीपी एक्ट थाना बबुरी में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिट्रिंग सेल व श्री अवधेश कुमार पाण्डेय (एडीजीसी), व थाना बबुरी के पैरोकार आरक्षी सत्य प्रकाश यादव की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-24.10.2024 को मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री श्याम बाबू (अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी प्रथम जनपद चन्दौली) द्वारा अभियुक्त 1.सर्वजीत उर्फ कक्की पुत्र शंकर लाल निवासी भरेहटा थाना बबुरी जनपद चन्दौली को 07 वर्ष का कठोर कारावास व 12000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 15 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा व गीता पत्नी सुबाष निवासी श्रीकण्ठपुर थाना बबुरी चन्दौली 3.सुबाष पुत्र लोचन निवासी उपरोक्त को उपरोक्त मुकदमें में दोषमुक्त किया गया।